भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2836

(दिनांक 19.12.2024 को उत्तर के लिए)

छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिलों में भर्ती अभियान

2836. श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आगामी समय में बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए कोई विशेष भर्ती अभियान शुरू किए जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बैकलॉग रिक्तियों को कब तक भरे जाने की संभावना है;

(ख) सभी विभागों में रिक्त पदों का विभाग-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या आकांक्षी जिलों में विशेष तौर पर छत्तीसगढ़ राज्य के आकांक्षी जिलों में पृथक भर्ती अभियान प्रारंभ किए जाने की कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ग): बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों सहित रिक्तियों का होना और उन्हें भरा जाना, एक सतत् प्रक्रिया है। केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों की पहचान करने, ऐसी रिक्तियों के मूल कारणों का अध्ययन करने, ऐसी रिक्तियों का कारण बनने वाले कारकों को दूर करने के लिए उपाय शुरू करने और विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से उन्हें भरने के लिए एक आंतरिक समिति गठित करने हेतु अनुदेश जारी किए गए हैं। मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2016 से अ.जा./अ.ज.जा/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के संबंध में 4 लाख से अधिक बैकलॉग आरक्षित रिक्तियां भरी गई हैं।

अनुदेशों के अनुसार, केन्द्र सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को आरक्षण से संबंधित आदेशों और अनुदेशों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उप सचिव और उससे ऊपर के रैंक के एक अधिकारी को संपर्क अधिकारी के रूप में नामोद्दिष्ट करना अपेक्षित है। इसके अलावा, प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को संपर्क अधिकारी के सीधे नियंत्रण में एक विशेष आरक्षण प्रकोष्ठ स्थापित करना अपेक्षित है ताकि उसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता मिल सके।

हालांकि, रिक्तियों का विवरण, संबंधित मंत्रालय/विभाग के अन्तर्गत आने वाले संबंधित सरकारी संगठनों द्वारा रखा जाता है। केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों को रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से भरने के लिए समय-समय पर अनुदेश दिए गए हैं।

*****